भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
05.12.2013 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 7.

जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की वर्तमान स्थिति

7. श्री हुसैन दलवई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले जैतापुर के लोगों के पुनर्संस्थापन और पुनर्वास संबंधी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित योजनाओं का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाएगा?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय
(श्री वी. नारायणसामी)

(क) जैतापुर परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से सांविधिक पर्यावरणीय तथा तटीय विनियमन जोन (सीआरज़ैड) संबंधी अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं। स्थल संबंधी प्रौद्योगिकी अनाश्रित अन्वेषण, और अवसंरचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए, मैसर्स अरेवा, फ्रांस के तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श जारी है।

(ख) जैतापुर परियोजना के लिए लोगों को विस्थापित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक व्यापक पुनर्वास संबंधी पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीएस) के लिए अधिगृहित भूमि हेतु मुआवजा और अन्य लाभ शामिल हैं, जिस पर महाराष्ट्र सरकार और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के बीच वर्ष 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे, को क्रियान्वित किया जा रहा है। फरवरी, 2013 में, महाराष्ट्र सरकार ने 22.5 लाख रूपए प्रति हैक्टेयर की दर से अतिरिक्त मुआवजा (अनुग्रह राशि) देने की घोषणा की थी। कुल 2336 खातेदारों (भू-हकधारियों) में से, 1311 ने मुआवजे की राशि प्राप्त कर ली है और उनमें से, 1214 को 14 नवम्बर, 2013 तक की स्थिति के अनुसार अनुग्रह राशि दी जा चुकी है।

(ग) पुनर्वास संबंधी पैकेज को महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उसे वित्त-पोषित करता है।

* * * * * * *